The Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby publishes the following English translation of notification no. 38/SLSA-104-97, dated September 11, 1997 for general information:

No. 40/SLSA- 104-97

Dated Lucknow, September 11, 1997

In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations:

THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY (TRANSACTION OF BUSINESS AND OTHER PROVISIONS) REGULATION, 1997

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. 1. These regulation may be called as District Legal Services Authorities (Transaction) of Business and other Provisions) Regulations, 1997).

2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987;

b. "Aided person" means a person to whom legal aid, legal advice or legal services has been provided in any form;

c. "Central Authority" mean's the National Legal Services Authority constituted under section 3;

d. "Chairman" means the Chairman of the District Authority;

e. "District Authority" means District Legal

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग–7

संख्या 40/एस.एल.एस.ए.- 104-97

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1997

सा.प.नि.- 102

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियमावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (i) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस विनियमावली में :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है;

(ख) "सहायता प्राप्त" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई हों;

(ग) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

Services Authority of the District constituted under Section 9;

f. "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any Court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

g. "Lok Adalat" means a Lok Akalat organised under Chapter VI of the Act;

h. "Member" means a member of the Distcit Authority;

i. "Rules" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

j. "Secretary" means the Secretary of the District Authority;

k. "Section" mens a section of the Act;

l. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6.

CHAPTER II

Function, Meetings and Fund of the Authority

Functions of the District Authority

3. 1. The District Authority perfom the following functions, namely:

a. Organise Lok Akalats within the district, including at Tehsil level for all categories of cases which are capable of settlement at Lok Adalat;

b. Provide legal aid, legal advice, legal literacy and other legal services in anymatter to be filed or defended in any civil, criminal under any Law for the time being in force to exercise Judicial or quasi-Judicial functions at the district level;

c. Organise Legal Literacy camps, more particularly in the areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections of the society;

(ङ) "जिला प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(च) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है;

(छ) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य जिला प्राधिकरण के सदस्य से है;

(झ) नियमावली का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा नियमावली 1996 से है;

(ञ) "सचिव" का तात्पर्य जिला प्राधिकरण के सचिव से है;

(ट) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ठ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

प्राधिकरण के कृत्य, बैठक और निधि

जिला प्राधिकरण के कृत्य

3. 1. जिला प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :

(क) सभी कोटि के मामले जो लोक अदालत में निपटाये जाने योग्य हों के लिये, जिले के भीतर जिसमें, तहसील स्तर भी सम्मिलित है, लोक अदालतों को आयोजित करना;

(ख) जिले के किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय में या जिला स्तर पर न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों का प्रयोग करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण में दाखिल या प्रतिरक्षा किये जाने वाले किसी मामले में विधिक सहायता, विधिक सलाह, विधिक साक्षरता और अन्य विधिक सेवा उपलब्ध कराना;

(ग) साक्षरता कैम्पों, अधिक विशिष्ट रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों